न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 29/2020

1 मदनलाल पुत्र भागीरथ उम्र साल जात जाट निवासी ग्राम कांवट तहसील खण्डेला जिला सीकर।

अपीलांटस

बनाम

1 ज्यानकीदास पुत्र ईसरदास जाति स्वामी निवासी रामसर तन कांवट तहसील खण्डेला जिला सीकर राज.।
1/1 शंकरलाल पुत्र ज्यानकीदास
1/2 रामस्वरूप पुत्र ज्यानकीदास
1/3 नेमीचंद पुत्र ज्यानकीदास
समस्त जाति स्वामी निवासी रामसर तन कांवट तहसील खण्डेला जिला सीकर राज.।
1/4 पूरणा देवी पुत्री ज्यानकीदास पत्नी कैलाश जाति स्वामी हाल निवासिनी नाथावाला तहसील शाहपुरा जिला जयपुर।
1/5 प्रेम देवी पुत्री ज्यानकीदास पत्नी रोहिताश जाति स्वामी हाल निवासी नाथावाला तहसील शाहपुरा जिला जयपुर।
1/6 सावित्री देवी पुत्री ज्यानकीदास पत्नी बोदूराम जाति स्वामी हाल निवासिनी छापुड़ा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर।
2 भगतदास मृतक
2/1 संतोष पत्नी स्व. भगतदास जाति स्वामी निवासिनी ग्राम कांवट तहसल खण्डेला जिला सीकर।
2/2 कमला पुत्री स्व. भगतदास हाल पत्नी राधेश्याम जाति स्वामी निवासी सुलतनराम की ढाणी तहसील खण्डेला जिला सीकर।
2/3 विमला पुत्री स्व. भगतदास हाल पत्नी सुभाष जाति स्वामी निवासी सुलतनराम की ढाणी तहसील खण्डेला जिला सीकर।
2/4 सुप्यार पुत्री स्व. भगतदास हाल पत्नी राजू जाति स्वामी निवासी भगेगा तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।
2/5 दुर्यो पुत्र स्व. संज्या पुत्री स्व. भगतदास

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

2/6 गपूड़ा पुत्र स्व. संज्या पुत्री स्व. भगतदास
जति स्वामी निवासीगण सुलतानराम की ढाणी तहसील खण्डेला जिला सीकर।
3 पूरणमल पुत्र मूलदास जाति स्वामी निवासी रामसर तन कांवट तहसील खण्डेला जिला सीकर।
4 हेमराज पुत्र भागीरथ
5 श्रीमती कानी पत्नी भागीरथ
समस्त जाति जाट निवासीगण कांवट तहसील खण्डेला जिला सीकर।
6 दाखली पत्नी भगवानदास
7 विमला पुत्री भगवानदास
समस्त जाति स्वामी निवासीगण कांवट तहसील खण्डेला जिला सीकर।
8 महावीर पुत्री गोपालदास
9 बनवारी पुत्र गोपालदास
10 मणी पत्नी गोपालदास
समस्त जाति स्वामी निवासीगण कांवट तहसील खण्डेला जिला सीकर।
11 प्रहलादराय पुत्र खेमदास जाति स्वामी निवासी कालियावास तहसील खण्डेला जिला सीकर।
12 बनवारी पुत्र सूण्डा
13 रघुनाथ पुत्र सूण्डा
14 मुलाराम पुत्र सूण्डा
समस्त जाति जाट निवासीगण कांवट तहसील खण्डेला जिला सीकर।
15 भूमिधारी राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदर खण्डेला।
16 मन्नादास पुत्र बालदास जाति स्वामी निवासी कांवट तहसील खण्डेला जिला सीकर।

रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्यायालय सहायक कलेक्टर (फा.ट्रे.) खण्डेला जिला सीकर पीठासीन अधिकारी श्री रणजीत सिंह आरएएस मुकदमा संख्या 247/2013 उनवानी ज्यानकीलाल आदि बनाम भागीरथ आदि दिनांकित 27.12.19 एवं तदन्तर्गत पारत संशोधित निर्णय दिनांक 31.12.19

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपस्थिति :

1. श्री सोहनलाल चौधरी, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री विनोद सरोज, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः— 1/6/26

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर (फा.ट्रे.) खण्डेला द्वारा मुकदमा नम्बर 247/2013 में पारित निर्णय दिनांक 27.12.2019 व संशोधित आदेश दिनांक 31.12.2019 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादीगण रेस्पोडेन्ट 1 लगायत 3 की ओर से एक वाद इस्तकरार हक व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर पुराना 1563 के नये खसरा नम्बर 4205, 4206, 4207, 4208, 4209, 4210, 4217, 4218, 4226, 4195, वाके ग्राम कांवट का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी स्वीकार कर लिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने तर्क दिया कि बाद तनकीयात प्रकरण में साक्ष्य वादी हेतु शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये परंतु विचारण न्यायालय के पीठासीन अधिकारी प्रिज्युडिस होकर बिना किसी प्रार्थना पत्र के ही दिनांक 18.10.2019 को अन्यवाद संख्या 434/13 में अपीलाधीन वाद के संलग्न तनकीयात दिनांक 13.03.2015 में संशोधन कर तनकी संख्या 4 पर दावा भागीरथ बनाम ज्यानकीदास वगै. मुकदमा संख्या 434/13 की नतकी को जोड़े जाने बाबत अवैध आदेश पारित किया गया, परन्तु आदेश की कोई पालना नहीं करवाई गई तथा दिनांक 25.10.2019 को मनमाने रूप से जिरह बंद किये जाने बाबत आदेश पारित कर दिया गया तथा दिनांक 01.11.2019 को अवैध रूप से दावा संख्या 434/14 में पूर्व के प्रतिवादी द्वारा साक्ष्य प्रतिवादी हेतु काफी अवसर दिया

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

जाना अंकित करते हुए अवैध रूप से साक्ष्य प्रतिवादी बंद किये जाने बाबत आदेश पारित कर दिया गया। इसके पश्चात दिनांक 15.11.2019 को बहस सुने जाने से पूर्व भूमिधारी खण्डेला से बिन्दुवार जवाब तलब किये जाने बाबत अवैध आदेश पारित कर दिया गया तथा पूर्व आदेश के विपरित जाकर बिना जवाब तहसीलदार आये बिना ही बहस उभयपक्ष सुने जाने का अंकन करते हुए अवैध रूप से दिनांक 27.12.2019 को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री एवं तदन्तर्गत 31.12.2019 को संशोधित डिक्री पारित कर दी गई। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री का एक मात्र आधार भूमिधारी तहसीलदार खण्डेला के जवाब को बनाया गया है परन्तु भूमिधारी तहसीलदार खण्डेला द्वारा प्रेषित जवाब से अपीलाधीन वाद पत्र के अभिकथनों की पुष्टि कतई नहीं हो पा रही है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन वाद में तनकीवार निर्णय नहीं पारित किया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित किये जाने से पूर्व अपीलांट को समुचित सुनवाई, सबूत साक्ष्य प्रस्तुति का अवसर प्रदान नहीं किया गया। इस कारण अपीलाधीन निर्णय प्राकृतिक न्याय शास्त्र के सिद्धान्तों के विपरित होने के कारण भी स्थिर रहने योग्य नहीं है। विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री इस निष्कर्ष के आधार पर पारित किये जाने में गंभीर त्रुटि की गई है कि वादीगण के हक, हिस्से की भमि में से 0.78 है. रकबा कम होना पाया जाता है परन्तु उक्त रकबा अपीलांट की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 4204 रकबा 2.94 है. व 4246 में ही मिला है यह किसी भी रूप में प्रमाणित नहीं है। इस कारण भी अपीलाधीन निर्णय व डिक्री स्थिर रहने योग्य नहीं है, निरस्त किये जाने योग्य है। अपील स्वीकार की जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरएलडब्ल्यू 2011(1) आरजे पेज 656, आरआरडी 1998 पेज 44, आरआरटी 2008(2) पेज 1090 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में वादीगण रेस्पोडेन्ट 1 लगायत 3 की ओर से एक वाद इस्तकरार हक व

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

स्थाई निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर पुराना 1563 के नये खसरा नम्बर 4205, 4206, 4207, 4208, 4209, 4210, 4217, 4218, 4226, 4195, वाके ग्राम कांवट का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी स्वीकार कर लिया। विचारण न्यायालय की पत्रावली में भूमि खसरा नम्बर 4226 रकबा 0.35 है. सम्पूर्ण की सैटलमेंट में संहवन से प्रतिवादी सं. 3, 4, 5 व 10 के नाम अंकित हो गयी जो अब रेस्पोडेन्ट सं. 6 लगायत 11 व 16 के नाम दर्ज थी, दिनांक 27.12.2019 संशोधित निर्णय 31.12.2019 सहायक कलेक्टर फा.ट्रे. खण्डेला की आज दिनांक तक कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गयी है तथा दोनों पक्षों ने उक्त निर्णय को स्वीकार कर लिया गया था। पुराना खसरा नम्बर 1563 जो कि 20 बीघा 9 बिश्वा की रेस्पोडेन्ट 1 ता 3 की खातेदारी भूमि थी यानि 20 बीघा 9 बिश्वा का 5.10 है. होता है उसके स्थान पर केवल 4.12 है. दर्ज की गई यानि 0.98 है. भूमि कम दर्ज कर दी जबकि सेटलमेंट कर्मचारियों को केवल सुविधा अनुसार नाप करने हेतु खसरा नम्बर के टुकडे करने के अधिकार तो थे परन्तु किसी की कृषि भूमि को कम या ज्यादा करने का अधिकार नहीं था। कर्मचारियों से हुई त्रुटि को वादी/रेस्पोडेन्ट ने 1 ता 3 ने ठीक करवाया है जो कि वादी/रेस्पोडेन्ट को हक अधिकार है। कृषि भूमि पुराना खसरा नम्बर 1562 रकबा 10 बीघा 9 बिश्वा तन ग्राम कांवट में स्थित है जिसके नये खसरा नम्बर 4195/2.82, 4196/0.01, 4197/0.01 यानि 2.84 है. प्रतिवादी सं. 6 ता 8 (दावे में) के नाम दर्ज की गयी जो 0.20 है. ज्यादा भूमि दर्ज कर दी गयी किन्तु दोनों पक्षों (वादी व प्रतिवादी सं. 6 ता 8) के मध्य राजीनामा हुआ। रिकार्ड कुछ भी है किन्तु मौके पर जहां है वही रहेंगे। रिकार्ड के अनुसार रिकार्ड के आधार पर सीमा नहीं रहेगी बल्कि जहां जहां काबिज है वहां वहां पर रहेंगे, यह मानकर प्रतिवादी सं. 6 ता 8 के साथ राजीनामा वादीगण का हो गया थ। भूमि खसरा नम्बर 4226 रकबा 0.35 है तन ग्राम कांवट में स्थित है जिसकी खातेदारी प्रतिवादी सं. 3, 4, 5 व 10 के नाम कतई गलत दर्ज हो गयी थी। वादीगण/रेस्पोडेन्ट 1 ता 3 की कृषि भूमि का नया व पुराना नक्शा का मिलान करने पर यह साफ जाहिर होता है कि यह खसरा नम्बर 4226 पुराने खसरा नम्बर 1563 का भाग है, तथा तहसीलदार खण्डेला से विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर (फा.ट्रे.) द्वारा टिप्पणी मंगवायी गयी उसमें पुरा खुलासा हो गया तथा रेस्पोडेन्ट सं. 6 ता 11 व 16 ने आराजी भूमि बाबत

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

कोई अपील (आपत्ति) पेश नहीं की है। विचारण न्यायालय के निर्णय दिनांक 27.12.2019 व दिनांक 31.12.2019 की कोई अपील (आपत्ति) पेश नहीं की है तथा अपीलान्ट मदनलाल को भूमि खसरा नम्बर 4226 रकबा 0.35 है. तन ग्राम कांवट तहसील खण्डेला को अपील पेश करने का कोई अधिकार नहीं है। उक्त अपील के नोटिस रेस्पोडेन्ट सं. 6 ता 11 को प्राप्त होने के बावजूद उपस्थित नहीं आये अर्थात विचारण न्यायालय के निर्णय को सही मानकर उसके विरूद्ध कोई अपील प्रस्तुत नहीं की गई। इस प्रकार दोनों पक्ष उक्त निर्णय से संतुष्ट है। विचारण न्यायालय का निर्णय दिनांक 27.12.2019 व 31.12.2019 जो करीब 5 साल से भी अधिक समय हो चुका है, यानि अवधि बाधित हो चुका है। अपीलान्ट को अन्य के प्रकरण में बिना कोई हित प्रभावित हुए उक्त अपील प्रस्तुत किये जाने का कोई अधिकार नहीं है। इस कारण उक्त अपील निरस्त किये जाने योग्य है। रेस्पोडेन्ट सं. 1 ता 3 के पुराने खसरा नम्बर 1563 रकबा 20 बीघा 9 बिश्वा का रकबा कम कर अपीलान्ट के नाम दर्ज भूमि 4204 रकबा 3.94 है. में वादी की 0.43 है. कृषि भूमि ज्यादा दर्ज कर दी जिसका सेटलमेंट कर्मचारियों को कोई हक अधिकार नहीं था। अपीलान्ट के पुराने खसरा नम्बर 1304 रकबा 4 बीघा 4 बिश्वा व भूमि खसरा नम्बर 1305 रकबा 9 बीघा 19 बिश्वा कुल किता 2 कुल रकबा 14 बीघा 3 बिश्वा है जिसका रकबा 3.55 है. के स्थान पर कतई गलत रूप से 3.98 है. कायम कर दिया। इस प्रकार भूमि खसरा नम्बर 4204 रकबा 3.94 है. में वादी/रेस्पोडेन्ट 1 ता 3 की 0.43 है. भूमि को शामिल कर दी गई। जिसका ज्ञान अपीलान्ट को भी है। वादी/रेस्पो. 1 ता 3 ने उक्त दावा 1997 में पेश किया था। अपीलान्ट द्वारा बार–बार प्रकरण के निस्तारण में व्यवधान पैदा किया गया, उक्त प्रकरण वर्ष 2019 में वर्णित होने पर कतई गलत आधारों पर उक्त अपील प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट ने विचारण न्यायालय ने अपने जवाब दावे में ऐसा कोई खण्डन नहीं किया कि उसकी कृषि भूमि किस तरीके से बढ़ गयी अर्थात अपीलान्ट द्वारा अपनी कृषि भूमि के बढ़ जाने बाबत कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त आराजी भूमि बाबत तहसीलदार खण्डेला से जवाब के रूप में टिप्पणी मंगवायी गयी जिसमें तहसीलदर खण्डेला ने वादी/रेस्पोडेन्ट सं. 1 ता 3 के वाद को सही माना तथा रिकार्ड के अनुसार सम्पूर्ण रिपोर्ट विचारण न्यायालय में प्रस्तुत की गई उक्त तहसीलदार की

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

रिपोर्ट का अपीलान्ट ने कोई विरोध/आपत्ति दर्ज नहीं करायी गयी तथा कृषि भूमि की सही जानकारी तहसीलदार खण्डेला को थी तथा उसी अनुसार अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय पूर्णतया सही है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में वादीगण रेस्पोडेन्ट 1 लगायत 3 की ओर से एक वाद इस्तकरार हक व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर पुराना 1563 के नये खसरा नम्बर 4205, 4206, 4207, 4208, 4209, 4210, 4217, 4218, 4226, 4195, वाके ग्राम कांवट का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी स्वीकार कर लिया।

विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रकरण में विचारण न्यायालय ने तनकीयात कायम करने के पश्चात प्रकरण में साक्ष्य वादी हेतु शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये परंतु विचारण न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा बिना किसी प्रार्थना पत्र के ही दिनांक 18.10.2019 को अन्य वाद संख्या 434/13 में अपीलाधीन वाद के संलग्न तनकीयात दिनांक 13.03.2015 में संशोधन कर तनकी संख्या 4 पर दावा भागीरथ बनाम ज्यानकीदास वगै. मुकदमा संख्या 434/13 की तनकी को जोड़े जाने बाबत आदेश पारित किया गया, परन्तु आदेश की कोई पालना नहीं करवाई गई है।

विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 25.10.2019 को जिरह बंद किये जाने बाबत आदेश पारित कर दिया गया तथा दिनांक 01.11.2019 को दावा संख्या 434/14 में पूर्व के प्रतिवादी द्वारा साक्ष्य प्रतिवादी हेतु काफी अवसर दिया जाना अंकित करते हुए साक्ष्य प्रतिवादी बंद किये जाने बाबत आदेश पारित कर दिया गया।

इसके पश्चात दिनांक 15.11.2019 को बहस सुने जाने से पूर्व भूमिधारी खण्डेला से बिन्दुवार जवाब तलब किये जाने बाबत आदेश पारित कर दिया गया तथा पूर्व आदेश की पालना करवाये बिना, जवाब तहसीलदार आये बिना ही बहस उभयपक्ष सुने जाने का अंकन करते हुए दिनांक 27.

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

12.2019 को विधिक प्रक्रिया की पालना किये बिना विचाराधीन निर्णय व डिक्री एवं तदन्तर्गत 31.12.2019 को संशोधित डिक्री पारित कर विधिक त्रुटि की गई है।

विचारण न्यायालय द्वारा विचाराधीन निर्णय एवं डिक्री का एक मात्र आधार भूमिधारी तहसीलदार खण्डेला के जवाब को बनाया गया है परन्तु भूमिधारी तहसीलदार खण्डेला द्वारा प्रेषित जवाब से अपीलाधीन वाद पत्र के अभिकथनों की पुष्टि नहीं होती है।

विचारण न्यायालय द्वारा विचाराधीन वाद में तनकीवार निर्णय नहीं पारित किया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा विचाराधीन निर्णय व डिक्री पारित किये जाने से पूर्व अपीलांट को समुचित सुनवाई, सबूत साक्ष्य प्रस्तुति का अवसर प्रदान नहीं किया गया है। इस कारण विचाराधीन निर्णय प्राकृतिक न्याय शास्त्र के सिद्धान्तों के विपरित होने के कारण विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में विधिक प्रक्रिया अनुसार दोनों वादों को समेकित कर, इकजाही तनकीयात कायम कर, उभयपक्ष की साक्ष्य प्राप्त कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.06.2026 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 1/6/26 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अखिल कुमार ग)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी